

14³/₂₄

आज्ञा से

पत्रावली पेश हुई। प्रापना पत्र
 का आवलोकन किया गया। प्रकरण
 में लहरीलाल निम्बाहेडा का पूर्व
 में सुकननामा जारी किया जा चुका
 है। पत्रावली में इन कई कार्रवाई
 शक नहीं होने में पत्रावली केवल
 शुद्ध होकर बन्द हो लें

उपखण्ड अधिकारी
 निम्बाहेडा